

न्यायालय श्रीमान् प्रशासकीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल
ग्वालियर (म०प्र०)



मिताही तनय रामकृपाल पटेल निवासी ग्राम कठार, तहसील मानपुर,
जिला उमरिया, म०प्र० (मृतक) विधिक वारिस द्वारा

ओंकार प्रसाद पटेल पिता श्री मिताही पटेल उम्र 35 वर्ष. पेशा खेती व
मजदूरी निवासी ग्राम कठार, तहसील मानपुर, जिला उमरिया, म०प्र०

.....निगरानीकर्ता

बनाम

शासन मध्यप्रदेश द्वारा अपर कलेक्टर महोदय जिला उमरिया म०प्र०

श्री. देवीशंकर शर्मा
जिला उमरिया दि. 08.06.16 को
प्रस्तुत

.....गैर निगरानीकर्ता

०८/०६/१६
राजस्व मण्डल

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय न्यायालय
अपर कलेक्टर महोदय जिला उमरिया म०प्र०
का प्रकरण क्रमांक 34/स्व.पुन./2013-14 व
आदेश दिनांक 16.01.2014 निगरानी अन्तर्गत
धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959ई०

०८/०६/१६ महोदय,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :-

01. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.01.2014
विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि प्रार्थी/आवेदक/निगरानीकर्ता ग्राम कठार तहसील मानपुर
जिला उमरिया का पुस्तैनी निवासी था, देरीना कब्जा दिनांक 02.10.
1984 के पूर्व होने से आराजी नं० 785 रकवा 0.405 हेक्टेयर भूमि का
व्यवस्थापन आवेदन पत्र नायब तहसीलदार मानपुर के न्यायालय में

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1875-दो/2016

जिला उमरिया

मिताही विरुद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 34/स्व.पुन./2013-14 में पारित आदेश दिनांक 16-01-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 25-04-2019 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p>3</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>28/2/2019</p>